रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली शुक्रवार, सितम्बर 1, 1972/भाद्र 10, 1894
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972/BHADRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st September 1972

No. 156(11)/71-PY-I.—In Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), Resolution No. 211(1)/69-PY.II, dated 18th June, 1969, an Advisory Council was set up which was intended to be a forum to reflect the various points of view on food and agricultural problems facing the country, and through which the Government of India could secure the advice and cooperation of producers, consumers, cooperatives, foodgrains trade and economists in the implementation of their food policy. In Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), Resolution No. 156(18)/6/9-PY.1, dated 29th October, 1969, it was specified that the Advisory Council would function for a period of two years starting from 18th June, 1969.

2. The Government of India consider that the Advisory Council can function more effectively if its role is defined in clear terms and if the discussions in the Advisory Council are confined to specific food and agricultural problems facing the country. Now that the period of functioning of the Advisory Council constituted on 18th June, 1969, has expired, the Government of India have decided to constitute a new Advisory Council with the following terms of reference:—

(1) To advise Government in formulation of food policy—procurement, distribution, prices, etc.

(2) To advise Government on measures to be adopted to secure maximum cooperation of trade and processing industry in fulfilling the national objectives of food policy.

(3) To discuss specific problems of implementation of food policy such as—

(a) respective roles of public and private agencies in maintaining price stability;

(b) to review measures to remove market imperfections such as inter-State disparities in prices that exist even after removal of zonal restrictions;

(c) to suggest methods to improve efficiency of handling grain both to improve quality and reduce operational costs.

(4) To advise Government in formulation and implementation of policy regarding sugar, vanaspati and edible oils.

(5) To advise Government on specific programmes relating to plans for development of storage, marketing and processing industries and nutrition programmes.

3. The Advisory Council shall function for a period of two years.

4. The membership of the Advisory Council shall be as follows:—

Chairman

1. Union Minister for Agriculture.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Agriculture.

Members

3. Minister of State for Finance.
4. Minister of State for Planning.
5. Secretary to the Government of India, Department of Food.
6. Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.
7. Secretary, Planning Commission.
8. Chairman, Agricultural Prices Commission.
9. Chairman, Food Corporation of India.
10. Joint Secretary (Administration) Department of Food.
11. Joint Secretary (Sugar), Department of Food.

Member-Secretary

12. Joint Secretary (Policy), Department of Food.

Non-Official Members

Members of Parliament

1. Shri Chandra Bhal Mani Tewari.
2. Shri Ramshekhar Prasad Singh.
3. Shri K. Ramakrishna Reddy.
4. Shri Triloki Singh.

Representatives of Trade Unions

5. Shri Bhogendranath Jha, M.P.

6. Dr. Mrs. Maitreyee Bose.

Director of the Central Food Technological Institute

7. Dr. H. A. B. Parpia.

Vice-Chancellor, Pantnagar University

8. Shri D. P. Singh.

Agricultural Economist

9. Dr. A. M. Khusro.

Expert on Nutrition

10. Dr. P. R. Krishnaswamy.

Marketing Expert

11. Shri R. Ramaswamy.

Flour Milling Industry

12. Shri Santanu Chaudhri.

Rice Milling Industry

13. Shri V. S. Tyagaraja Mudaliar.

Food Processing Industry

14. Shri Wadud Khan.

Punjab Apex Marketing Federation

15. Shri Sohan Singh.

Foodgrains Trade

16. Shri V. S. Agarwal, Calcutta.

Sugar and Vanaspati Industry

17. Shri G. P. Chatterjee.

Representatives of Producers

18. Shri R. B. Singh, Shahabad, Bihar.

19. Shri Mohamad Rafiq, Muzafar Nagar.

5. The Council is expected to meet at least twice a year.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Administrations, all members of the Advisory Council, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs and Private Secretary to the President, the Comptroller and Auditor-General of India, and the Accountant General, Central Revenues.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

R. R. BAHL, Secy.

कृषि मंत्रालय,

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1972

सं० 156 (11)/71-पी० वाई-1--भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के संकल्प संख्या 211(1) / 69-पालिसी-2 दिनांक 18 जून, 1969 में एक सलाहकार परिषद् स्थापित की गयी थी। इस परिषद को देश की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करने के लिए एक फोरम बनाने का इरादा था और जिसके माध्यम से भारत सरकार अपनी खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सहकारी समितियों, खाद्यान्न व्यापारियों और अर्थ शास्त्रियों की सलाह और उनका सहयोग प्राप्त कर सके। भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के संकल्प संख्या 156(18) / 69-पालिसी-1 दिनांक 29 अक्तुबर, 1969 में यह स्पष्ट किया गया था कि सलाहकार परिषद् 18 जून, 1969 से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

2. भारत सरकार यह समझती है कि यदि सलाहकार परिषद की भूमिका सुस्पष्ट रुप से निर्धारित कर दी जाती है और सलाहकार परिषद में देश की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श सीमित कर दिया जाता है तो परिषद और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है। 18 जून, 1969 को गठित इस सलाहकार परिषद का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है, भारत सरकार ने एक नई सलाहकार परिषद गठित करने का निश्चय किया है जिसके निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :--

(1) सरकार को खाद्य नीति अधिप्राप्ति, वितरण मूल्य आदि के बनाने में परामर्श देना।

(2) सरकार को खाद्य नीति के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापारियों तथा विधायन उद्योग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना।

(3) खाद्य नीति की कार्यान्विति सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श करना जैसे कि :--

(क) मूल्य में स्थिरता बनाए रखने में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की अपनी अपनी भूमिकाएं

(ङ) बाजार अपूर्णता जैसे कि मूल्यों में अन्तर्राज्यीय अन्तर जो कि क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के बाद भी विद्यमान हैं, को समाप्त करने के उपायों की समीक्षा करना ;

(ग) अनाज सम्भालने की कार्यकुशलता सुधारने के तरीके सुझाना जिससे उसकी किस्म सुधारी जा सके और परिचालन व्यय कम किया जा सके ।

(4) चीनी, वनस्पति और खाने के तेलों के बारे में नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार को परामर्श देना ।

(5) भण्डारण, विपणन और विधायन उद्योगों तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देना ।

3. सलाहकार परिषद दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी ।

4. सलाहकार परिषद की सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

1	केन्द्रीय कृषि मन्त्री	अध्यक्ष
2	कृषि राज्य मन्त्री	उपाध्यक्ष
3	वित्त राज्य मन्त्री	सदस्य
4	योजना राज्य मंत्री	,,
5	सचिव, भारत सरकार, खाद्य विभाग	,,
6	सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग	,,
7	सचिव, योजना आयोग	,,
8	अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग	,,
9	अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम	,,
10	संयुक्त सचिव (प्रशासन) खाद्य विभाग	,,
11	संयुक्त सचिव (चीनी) खाद्य विभाग	,,
12	संयुक्त सचिव (नीति) खाद्य विभाग	सदस्य सचिव

गैर सरकारी सदस्य

क्रम संख्या	नाम	
1	श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	संसद सदस्य
2	श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	संसद सदस्य
3	श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	संसद सदस्य
4	श्री त्रिलोकी सिंह	संसद सदस्य
5	श्री भोगेन्द्र नाथ झा, संसद सदस्य	ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि ।
6	डा० श्रीमती मैत्रेई बोस	,,
7	डा० एच० ए० बी० पारपिया	निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ।
8	श्री डी० पी० सिंह	कुलपति, पन्तनगर विश्व-विद्यालय
9	डा० ए० एम० खुसरो	कृषि अर्थशास्त्री
10	डा० पी० आर० कृष्णास्वामी	पोषाहार विशेषज्ञ
11	श्री आर० रामास्वामी	विपणन विशेषज्ञ
12	श्री सांतनू चौधरी	फ्लोर मिलिंग उद्योग
13	श्री वी० एस० त्यागराजा मुदलियार	चावल मिलिंग उद्योग
14	श्री वजूद खां	खाद्य विधायन उद्योग
15	श्री सोहन सिंह	पंजाब शीर्ष विपणन संघ
16	श्री वी० एस० अग्रवाल, कलकत्ता	खाद्यान्न व्यापार
17	श्री जी० पी० चटर्जी	शर्करा तथा वनस्पती उद्योग
18	श्री आर० वी० सिंह, शाहाबाद बिहार	उत्पादकों के प्रतिनिधि
19	श्री मुहम्मद रफीक, मुजफ्फर नगर ।	,,

5. आशा है कि परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठ के होंगी ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों, सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों, मंत्रि मण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी सचिव, भारत के महानियन्त्रक तथा लेखापरीक्षक और महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को भेजी जाए

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० आर० बहल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972